।। उद्घोष ।।

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी नई दिल्ली का आन्तरिक सूचना पत्र

समरशेष है/नहीं पाप का भागी केवल व्याध/जो तटस्थ हैं/मौन बने हैं/
समय लिखेगा उनका भी इतिहास! –राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर

वर्ष 9 अंक 2 एवं 3 जून–नवम्बर 2018

जैन्डर विशेष

मार्गदर्शन – नरेन्द्र कुमार
सम्पादन – सुरेन्द्र सिंह तंवर
सहयोग – डॉ॰ फैजा अब्बासी
– हनुमान सहाय

- भोजन प्रतिकूल है तो दवा बेअसर है।
  भोजन अनुकूल है तो दवा की जरूरत नहीं है।
  यदि रोग का उपचार भोजन से कर सकते हो तो दवाएं डिब्बे में बंद रहने दो। – हिप्पोक्रेटस
- भविष्य के चिकित्सक रोगी को दवा नहीं देंगें बल्कि रोग खत्म करने के लिए उसके शरीर व भोजन का संतुलन कायम करेंगे। – थामस एडिसन

एक हमारी और एक उनकी

एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो।
अब तुम पर है कौनसी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो।
हम कहतें हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो।
वो कहते हैं खूनखराबा होता है तो होने दो।
हम कहते हैं इन्सानों में इन्सानों सा प्यार रहे।
वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे।
हम कहते हैं नफरत का जो हुक्म दो वो फरमान गलत।
वो कहते हैं ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत।
हम कहते हैं जाति–धर्म से इन्सान की पहचान गलत।
वो कहते हैं सारे इन्सान एक हैं ये ऐलान गलत।
हम कहते हैं बेघर–बेदर लोगों को आबाद करो।
वो कहते हैं भूले–बिसरे मन्दिर मस्जिद याद करो।

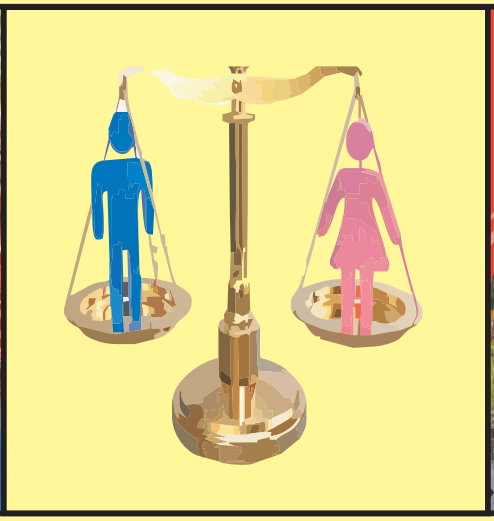

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी, 96–97, पॉकेट 13, सैक्टर 20, रोहिणी, नई दिल्ली– 110086, भारत
Mob : 9654957131 E-mail: sdsindia09@gmail.com website : www.shividevelopmentsociety.org

जैण्डर संवेदी विकास

जैण्डर विकास सूचक –

राष्ट्रों की प्रगति के आंकलन में मानव विकास सूचकों के साथ–साथ इस बात का भी आंकलन किया जाता है कि मानव विकास आधारित प्रगति में जैण्डर सापेक्ष प्रगति की स्थिति कैसी है? इस तरह मानव विकास के सभी सूचकों को जैण्डर की कसौटी पर जाँचा जाता है और इससे संबंधित प्रगति के नीचा होने पर संबंधित देशों की विकास प्रगति में से अंक काटे जाते हैं। जो देश जैण्डर समानता और महिला सबलीकरण बढ़ाने का यत्न करतें हैं उन्हें बोनस अंक दिए जाते हैं। इस तरह मानव विकास में जैण्डर संवेदी सूचकों का स्थान प्रमुख है।

मानव विकास की परिभाषा –

सन् 1990 में यू.एन.डी.पी. ने मानव विकास प्रतिवेदन के माध्यम से 'विकास' में मानव विकास के मुद्दों को व्यापक रूप से शामिल किया था। इस धारणा के प्रवर्तकों में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब–उल–हक तथा भारतीय मूल के नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमृत्य सेन ने 'विकास' में आर्थिक वृद्धि की सोच के साथ–साथ शिक्षा, आजीविका व स्वास्थ्य को शामिल करना जरूरी माना है। अगर मानव विकास को परिभाषित किया जावे तो यू.एन.डी.पी. के अनुसार ''विकास'' का मूल उद्देश्य व्यक्तियों के पास उपलब्ध विकल्पों/पसन्द के दायरों को बढ़ाना है। ये विकल्प अनन्त हो सकतें हैं और इन्हें बदला भी जा सकता है। मानव विकास में लोगों (स्त्रियां व पुरूष) अपनी पसन्द का जीवन जी सकें और इसके लिए उनके पास समान अवसर और क्षमता हो।

मानव विकास के प्रमुख आयाम :–

(1) स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु
(2) शिक्षा व ज्ञान का स्तर तथा
(3) उत्तम जीवन–स्तर भोगने के लिए समुचित संसाधन।

इतना ही नहीं मानव विकास के अन्तर्गत व्यक्तियों के अन्य विकल्पों में स्वाभिमान, सबलीकरण एवं सामुदायिक गतिविधियों में मानव अधिकारों की सुरक्षा, निरंतरता, सुनिश्चतता व भागीदारी शामिल है। इस प्रकार मानव विकास के विश्लेषण में व्यक्तियों का विकास, व्यक्तियों द्वारा तथा व्यक्तियों के लिए समाहित है। इसमें मानव मात्र की आजादी को प्रमुखता दी गई है।

मानव विकास में मानव अधिकारों का संदर्भ :–

इन दिनों विकास को एक मानव अधिकारों के संदर्भ में भी परिभाषित किया जाता है–जिसमें निर्धन, दिव्यांग, महिलाओं, बच्चों एवं वंचितों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ते हुए मानव अधिकारों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित किया जाना शामिल है। इसे समावेशी विकास के नाम से पुकारा जाता है अर्थात् ऐसी तरक्की जिसमें सभी तबकों का हित शामिल हो।

टिकाऊ विकास :–

विकास का एक और स्वरूप प्रचलित है। इसे टिकाऊ (सस्टेनेबल) विकास के नाम से जाना जाता है। यह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की एकीकृत रणनीति का मिला–जुला स्वरूप है, जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी समझी गई है। इसमें पुरूष व स्त्रियां, निर्धन व सम्पन्न, सशक्त एवं निशक्त, सभी का हितवर्द्धन शामिल है। इस विकास (टिकाऊ या सतत् विकास) का मूल आधार जैण्डर संवेदी होना ही है। इस प्रकार विकास की समग्र अवधारणा में जैण्डर मुद्दे अभिन्न रूप से जुड़े हैं।

विकास में जैण्डर आधारित स्थिति –

विकास का परिप्रेक्ष्य :

भारत में आजादी के बाद विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया। देश के विकास रथ को आगे बढ़ाने के लिए न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया वरन् दुनियाभर में विकास की नई सोच के अनुसार सामाजिक व मानव विकास के पहलुओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वंचितों, महिलाओं व बच्चों के सबलीकरण पर भी जोर दिया जाने लगा। भारत में भी विकास के नजरिए में सामाजिक व मानव विकास के मुद्दों पर चर्चा होने लगी। विकास की पांच साला योजनाओं में आर्थिक विकास के साथ–साथ मानव

जैण्डर आधारित भूमिकाएं एवं विभेद

क्षेत्र	पुरूष	महिलाएं
समाजिक व सांस्कृतिक	सार्वजनिक कामों की जिम्मेदारी स्वतंत्रता, गतिशीलता	घरेलू काम–काज पर्दा, व्रत, उपवास आजादी नहीं
धार्मिक अनुष्ठान	महत्वपूर्ण भूमिका प्रमुखता प्राप्त	गौण भूमिका रूढ़िवादी रीति–रिवाज
अर्थव्यवस्था/आर्थिक	कमाई–अधिक भुगतान बाहर के काम खर्च का नियंत्रण	कमाई–काम का कम दाम घरेलू काम स्वयं पर व्यय में अंकुश
राजनीति	लीडर/अगुआ प्रभावी भूमिका/नेतृत्वकर्ता जानकारी व सत्ता पर नियंत्रण	अनुगामी गौण भूमिका, अनुशरणकर्ता अज्ञानता व दोयम दर्जा
कानून	हकों की जानकारी संस्थागत पंहुच	अधिकारों की जानकारी नहीं संस्थाओं तक पंहुच नहीं
शिक्षा,स्वास्थ्य व पोषण	अपेक्षाकृत सुविधाजनक जानकारी का ऊंचा स्तर	उपलब्धता व पहुंच नहीं एवं स्वयं के प्रति उदासीनता

विकास के पहलुओं को शामिल किया जाने लगा। इन सुधारवादी परिवर्तनों के बावजूद मानव विकास के कुछ आयाम आज भी हमारी प्रगति की रफ्तार को पीछे ही धकेल रहें हैं और विश्व स्तर पर भी हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है।

आर्थिक विकास की बढ़ती हुई गति के बावजूद, स्त्री–पुरूषों के मानव अधिकारों तथा संवैधानिक समानता के हनन से दलितों, महिलाओं एवं बच्चों, विशेषकर लड़कियों को वंचनाओं का शिकार बनाते हैं। अनेक दूषित परम्पराओं, जैण्डर विभेदी नीतियों, निर्णयों व कार्यक्रमों में असमानता और असंवेदनशीलता के कारण–ये वर्ग (महिलाएं, दलित, लड़कियां आदि) विकास कार्यक्रमों के प्रभाव से लाभान्वित नहीं हो पाते और आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं।

इस स्थिति को और स्पष्टता से समझने के लिए हमें जैण्डर की दृष्टि से हमारे देश, प्रदेशों व समाज की वर्तमान दशा और दिशा को समझना होगा, ताकि हम मानव विकास को सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती दें सकें।

महिला व पुरूषों की भेदभावपूर्ण भूमिकाएँ :–

वैसे तो विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किसी न किसी रूप में भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव सामाजिक कारणों से है, जो भारत में भी गहरी पैठ बनाए है। भारत में महिलाओं की स्थिति प्रायः दूसरे दर्जे की है। इसके पीछे कई कारण हैं। परन्तु सबसे बड़ा कारण है–जैण्डर असमानता। देश के प्रायः सभी समाजों में पुरूष और स्त्रियों के काम के बंटवारे में, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों की भूमिका में स्त्रियों को वंचित या कमतर ही रखा गया है। इन वंचनाओं की वजह से महिलाएँ हर क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं। इस भेदभाव के कारण स्त्रियां विकास के लिए बनाई गई नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाती और विकास का ज्यादा लाभ पुरूष उठा ले जाते हैं। जैण्डर असमानता को ठीक से समझने हेतु स्त्री–पुरूषों के बीच प्रचलित विभिन्न प्रकार के भेदभाव को समझने की जरूरत है।

संविधान, कानून कार्यक्रमों व नीतियों में स्त्री–पुरूष समता और समानता के प्रावधानों के बावजूद सभी क्षेत्रों में विकास का लाभ उठाने में स्त्रियों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं जैण्डर विभेदों के परिणामस्वरूप देश का लगभग आधा हिस्सा (महिलाएँ) विकास की दृष्टि से पिछड़ता जाता है। इसका प्रमाण निम्न तथ्यों से मिलता है:–

- → उत्पादन और आय बढ़ाने के काम में पुरूषों की तुलना में प्रायः महिलाएं अधिक काम करती हैं, तब भी उन्हें कमाने वाली नहीं मानकर, उन्हें घर की देखभाल करने वाली कहा जाता है। पुरूषों पर आश्रित सदस्यों के रूप में जनगणना में गिना जाता है।
- → धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदारी का भार तो महिलाओं पर अधिक है, परन्तु इन में प्रमुखता का दर्जा पुरूषों को ही प्राप्त होता है।
- → शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य में स्त्रियाँ पिछड़ जाती हैं, जबकि वे भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहतीं। ऐसा स्वयं के प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण होता है और सामाजिक बाधाओं के कारण भी।
- → राजनीति, आय–परक रोजगार एवं सत्ता के गलियारों में बड़े–बड़े पदों और संगठनों में पुरूषों की ही प्रधानता होती है, महिलओं को वंचित रखा जाता है।
- → संसाधनों पर नियंत्रण और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रायः पुरूषों को ही विरासत में मिला है, जो महिलाओं को संकोची एवं परावलंबी बनाते हैं। फलस्वरूप महिलाओं/बालिकाओं का विकास बाधित बना रहता है।
- → महिलाओं को घरों, परिवारों, गली–मोहल्लों, कार्यक्षेत्रों में अनेक प्रकार की हिंसा व अत्याचार सहने पड़ते हैं। दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था व जैण्डर–विकृत सोच के कारण जैण्डर आधारित हिंसा के लिए भी महिलाओं को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है।

इन जैण्डर विसंगतियों को दूर करना जरूरी है। जैण्डर विभेद मिटाए बिना विकास में जैण्डर आधारित समानता को कायम नहीं किया जा सकेगा। जैण्डर समानता के बिना व्यक्ति, घर, परिवार, समुदाय, समाज, प्रदेश, देश व दुनिया में समानता, शान्ति व एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक वातावरण पैदा नहीं होगा। जैण्डर समता लाए बिना मानवता और मानव विकास को आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है।

विकास प्रक्रिया में जैण्डर बाधाएँ कैसे दूर की जा सकती हैं ?

हमें मानव विकास प्रक्रिया को समग्र व सर्वहितोन्मुखी बनाने हेतु निम्नांकित उपाय करने की जरूरत है :–

घर–परिवार में जैण्डर खांचों में कैद सोच से उभरकर संवेदनशीलता से जैण्डर भेदभाव, अन्याय, अत्याचार व हिंसा का प्रतिकार, संपत्तियों पर बेटे–बेटी के समान हक तथा निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता व क्रियात्मक उपायों की प्रतिष्ठा करना।

गांव, समुदाय, पंचायत व ग्रामसभा/वार्डसभा स्तर पर संगठनों, व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं व सेवा–प्रदाताओं को जैण्डर मुद्दों पर संवेदनशील बनाना, समुदायों की अगुवाई करने वाले स्त्री–पुरूषों को जैण्डर–समता की जरूरतों व प्रक्रियाओं की महत्ता बताकर जनसाधारण को प्रेरित करने का प्रयास करना। प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर महिलओं को बराबरी का प्रतिनिधित्व देना और निर्णयों में महिलाओं की राय को प्राथमिकता देना।

जैण्डर आधारित समानता, हिंसा–निवारण तथा मानव अधिकारगत मुद्दों को समाज के सभी समूहों, संगठनों व संस्थाओं में चर्चा करके, समुचित उपाय करने की ओर अग्रसर करना ताकि सामाजिक न्याय व समानता के राष्ट्रीय संकल्प–संविधान की मंशा के अनुरूप लागू किए जाकर, जैण्डर संवेदी सामाजिक सोच बनाया जावे।

इस संदर्भ में श्री मेहबूब उल हक का कथन उल्लेखनीय है जो कहता है–

"ऐसा विकास जो जैण्डर–संवेदी दृष्टि से नियोजित नहीं है, खतरे में है।"

वंचितो व महिला–सशक्तिकरण की प्राथमिकताएं

जैण्डर संवेदी विकास और आयोजना में आ रही बाधाओं को समझकर विकास की गति को तेज करना है तो जैण्डर मुद्दों, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं और जनचेतना में कारगर बदलाव लाने वाले प्रयासों को गतिमान करना होगा। सामान्यतः वंचितों व महिलाओं के लिए प्राथमिकता के मुद्दे निम्न प्रकार के हैं–

- → अधिकारों की प्राप्ति व सम्मान–समझना, समझाना व संरक्षण करना।
- → सभी के लिए शिक्षा–प्रारंभिक शिक्षा में जैण्डर समानता बढ़ाना।
- → सभी के लिए स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ जल व स्वच्छता–जीवन स्तर में गुणवत्तापरक सुधार।
- → समानता को बढ़ावा : परिवार, समुदाय, समाज, सत्ता, स्वामित्व, निर्णय प्रक्रिया, आजीविका, सुविधाओं, अवसरों, अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में।
- → स्वतंत्रता, सुरक्षा, भागीदारी एवं विकास की समग्र दृष्टि।
- → हिंसा, भेदभाव व जैण्डर विभेदी परम्पराओं/कुरीतियों का जड़ से उन्मूलन।
- → महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा।

ये और ऐसे की अन्य मुद्दे जो स्त्री–पुरूषों के बीच व्याप्त भेदभाव मिटाने वाले हों तथा किसी भी वर्ग को नीचा दिखाने वाले कृत्यों, कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थाओं और परम्पराओं को संवेदनशीलता के आधार पर मिटाने में आमजन, जनसेवक, जनप्रतिनिधि, स्वेच्छिक संगठनों, अन्य समूहों और नागरिकों–स्त्री–पुरूषों के प्रभावी सहकार की जरूरत है।

विकास में महिलाएँ तथा जैण्डर और विकास

विकास का परिप्रेक्ष्य भारत में आजादी के बाद प्रारम्भ–शुरूआती पाँच पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं को विकास नियोजन में केन्द्रित ही नही किया गया। उन्हें तो केवल समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में संचालित कल्याणकारी योजनाओं में दीन–दुखी छवि के आधार पर पेंशन, नारी–गृह या छोटी–मोटी मदद का ही पात्र माना गया। छठी पंचवर्षीय योजना से पहली बार "विकास में महिलाएँ "(Women in Development)" की नीति अपनायी गयी, जिसमें स्त्रियों को भी विकास कार्यक्रमों में जोड़ने के लिए एक पृथक अनुच्छेद लिखकर महत्व दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पृथक से एक अध्याय 'महिलाएं और विकास' पर लिखा गया। एक पृथक विभाग के रूप में महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना–केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर पर की गई।

'विकास में महिलाएँ' सोच से 'जैण्डर एवं विकास' चिंतन तक सातवीं पंचवर्षीय योजना से प्रचलित विकास के इस नजरिए में स्त्रियों की तात्कालिक समस्याओं को दूर करने के कार्यक्रम बनाए गए जैसे–

- ↳ 'समेकित बाल विकास सेवाएँ–(ICDS)' कार्यक्रम में उनके व उनके बच्चों की स्वास्थ्य व पोषाहार जरूरतों पर ध्यान।
- ↳ 'ट्रायसेम' व 'द्वाक्रा' कार्यक्रमों में उनके आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु कौशल प्रशिक्षण व समूह आधारित स्वरोजगार की प्रवृति को बढ़ाने पर ध्यान।
- ↳ शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रमों में महिला भागीदारी पर फोकस।
- ↳ आई.आर.डी.पी. कार्यक्रम में आर्थिक लाभ हेतु व्यक्तिगत स्तर पर बैंक ऋण एवं अनुदान तथा उत्पादक इकाई वितरण हेतु पहले 30 प्रतिशत व बाद में 40 प्रतिशत लक्ष्य आरक्षित कर महिलाओं को संबल देने के प्रयास आदि।

जैण्डर एवं विकास

इस नए विकास चिंतन में स्त्रियों को विकास की मुख्यधारा की प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश की गई। परन्तु 'विकास में महिलाएँ' के सोच से महिलाओं की स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास को जैण्डर के दृष्टिकोण से समझने और उसके अनुसार बदलाव लाने पर जोर दिए जाने के कारण, 1990 के दशक में हमारे परिवेश में ''विकास में महिलाओं'' वाले दृष्टिकोण के स्थान पर ''जैण्डर और विकास'' दृष्टिकोण (Gender and Development) वाली व्यूहरचना का सूत्रपात हुआ, जिसमें पुरूषों एवं स्त्रियों के जीवन पर विकास के प्रभाव को देखा जाता है। इस नये जैण्डर सापेक्ष विकास चिंतन का ध्येय जैण्डर असमानताओं को दूर करना और विकास संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच और नियंत्रण बढ़ाना है। मुख्य मुद्दा यह है कि स्त्री–पुरूषों में वांछित भागीदारी का लक्ष्य प्राप्त करने में दुविधाएं हैं। इसी कारण जैण्डर एवं विकास की रणनीति में पुरूष स्त्रियों के बीच बराबरी के संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है। इसमें रोजमर्रा की जैण्डर भूमिकाएं व अर्न्तसंबंध समझकर, स्त्रियों का दर्जा बढ़ाने की कार्रवाई की जाती है और नेटवर्किंग, पैरवी और जरूरी हो तो दबाव बनाकर गैर–परम्परागत भूमिकाओं को सीखने हेतु स्त्रियों व पुरूषों की क्षमता बढ़ाने के अवसर दिए जाते हैं–ताकि जैण्डर समानता के अर्न्तसंबंध वाला समाज बनाया जा सके जिसमें सभी के मानव अधिकार संरक्षित हों।

'जैण्डर एवं विकास' की रणनीति की सफलता में महिला सशक्तिकरण की बहुत महत्ता है। वर्तमान स्थिति में यह बदलाव की प्राप्ति का मुख्य उपाय है। यह उपाय ही विकास की जैण्डर संवेदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने मे सहायक है। महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक समतावादी परिवर्तन समाज में बदलती हुई जैण्डर भूमिकाओं पर निर्भर है। इसमें परिवार, समुदाय, समाज, सत्ता व शासन, पंचायतीराज संस्थाएँ, स्वैच्छिक संगठन एवं जन–साधारण की प्रभावी भूमिका से समानता, समता, और समरसता का सिलसिला बंद हो सकेगा। जैण्डर संवेदी सुशासन और विकास नियोजन से ही महिलाओं के सबलीकरण को सही दिशा प्राप्त होगी।

जैण्डर की अवधारणा

जैण्डर शब्द का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है। पहले इसका उपयोग स्त्री और पुरूषों के शारीरिक या जैविक अंतर को समझने में ही किया जाता था पर अब इसके सही संदर्भ के बारे में काफी हद तक सहमति बन चुकी है। वैसे तो अभी प्रायः आमजन इस बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हैं। अधिकांश पढ़े–लिखे स्त्री–पुरूषों में भी इस बारे में भ्रमित धारणाएँ प्रचलित हैं। वस्तुतः 'जैण्डर शब्द को अब सामाजिक संदर्भ के रूप में काम में लिया जा रहा है। इसे औरतों और मर्दों की सामाजिक व सांस्कृतिक आधारों पर बनी भूमिकाओं, अधिकारों, संसाधनों के उपयोग व नियंत्रण तथा व्यवहारों से जोड़कर देखा जाता है। स्त्री व पुरूषों के इन व्यवहारों के पीछे समाज, संस्कृति, परम्पराओं आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए 'जैण्डर' को कुछ व्यक्ति 'सामाजिक लिंग' के नाम से भी पुकारने लगे हैं।

जैण्डर क्या है ?

कुछ विचारक किसी महिला या पुरूष से समाज द्वारा उनके अपेक्षित गुणों और व्यवहारों की स्थिति को भी जैण्डर कहतें हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं व परम्पराओं से भी प्रभावित होता है। ये अपेक्षाएं समाज द्वारा निर्धारित मानदण्डों व परम्पराओं के अनुरूप स्त्रियों एवं पुरूषों से की जाती हैं।

'जैण्डर' का संबंध प्रायः उन भूमिकाओं से होता है जो कि समाज महिलाओं, पुरूषों, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग रूप में तय करता है। इसके विपरीत स्त्री या पुरूष की भूमिकाओं का निर्धारण जैविक अथवा प्राकृतिक कारकों से होता है। सामाजिक भूमिकाएँ बदली भी जा सकती हैं, परन्तु प्राकृतिक व जैविक आधार पर बनी लैंगिक भूमिकाएँ प्रायः नहीं बदली जा सकतीं। इस बात को और अधिक स्पष्ट समझने की जरूरत है कि 'जैण्डर' व 'सेक्स' के बीच मूलरूप से क्या अंतर है।

'जैण्डर शब्द का प्रयोग स्त्रियों व पुरूषों की जमीनी हकीकत को समझने, विश्लेषण करने तथा समता स्थापित करने हेतु उपायों को ढूंढ़ने के लिए एक औजार के रूप में भी

किया जाता है। जिन देशों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है– (जैसी भारत व अन्य अनेक देशों में) वहाँ जैण्डर की व्यवस्था देखने और उसका विश्लेषण करने से प्रायः स्त्रियों की स्थिति पुरूषों की तुलना में कमजोर ही नजर आती है।

जैण्डर भूमिकाएँ–

जैण्डर भूमिकाएँ समय, स्थान और अन्य कारकों से बदलती रहती हैं। यह परम्परा या समाज द्वारा तय होती हैं। जरूरत के मुताबिक इन्हें बदला भी जा सकता है। 'जैण्डर एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, जिसमें पुरूष या स्त्रियाँ एक–दूसरे से ऊँच–नीच के रिश्तों में जुड़े रहतें हैं। 'जैण्डर–निर्माण की प्रक्रिया बहुत मजबूत होती है, जो प्रायः बच्चे के भ्रूण में आते ही प्रारंभ हो जाती है।

'जैण्डर' व्यवस्थापरक है। इसके तहत कुछ मुद्दे प्रमुख रूप से समझने की जरूरत है–

- पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज में 'जैण्डर की संरचना स्त्रियों और पुरूषों के बारे में प्रचलित मान्यताओं द्वारा निर्धारित होती है, जैसे–पुरूष शक्तिशाली व समझदार एवं महिलाएँ कमजोर तथा भावुक होती हैं।
- समाज में स्त्रियों व पुरूषों के लिए कुछ 'आदर्श स्थितियाँ व मानदण्ड तय होते हैं, जिनके आधार पर ही उनसे भिन्न व्यवहार किया जाता है, जैसे स्त्रियों का शर्मीली होना, जोर से न बोलना आदि व पुरूषों को अपनी बात कहने व मनवाने का हक।
- समाज में स्त्रियों व पुरूषों की जैण्डर भूमिकाएँ भिन्न–भिन्न मानी जाती हैं, जैसे पुरूष 'कमाने' वाला व स्त्रियाँ 'घर देखने वाली'।
- जैण्डर आधारित काम का बंटवारा करके, समाज द्वारा पुरूषों के लिए वैतनिक तथा अधिक आमदनी देने वाले काम, स्त्रियों के लिए प्रायः घरेलू काम व कम आमदनी वाले कार्य निर्धारित होते हैं। इसी तरह अच्छे पदों, राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में पुरूषों का नेतृत्व तथा महिलओं का प्रायः उपेक्षित दर्जा यानि उन्हें निर्णायक भूमिकाओं से वंचित रखा जाता है।
- जैण्डर व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों व पुरूषों हेतु संसाधनों की उपलब्धता, पहुँच व नियंत्रण में भेदभाव है। प्रायः संसाधनों पर पुरूषों का हक बना रहता है और महिलाएँ इनसे वंचित रहती हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि असमान जैण्डर भूमिकाओं व ऊँच–नीच की श्रेणीबद्ध व्यवस्थाओं के कारण स्त्रियों व पुरूषों के संबंधों में निर्णय करने की आजादी और अधिकारों की सत्ता में दोहरे मानदण्ड मौजूद हैं। इस वजह से निर्णय वही ले पाते हैं, जिनके पास सत्ता है और वे अधिकांश पुरूष होते हैं। जैण्डर व्यवस्था व भूमिकाओं की खासियत यह है कि इनमें बदलाव संभव है। सामाजिक मान्यताएँ, काम का बंटवारा, संसाधनों पर नियंत्रण या सोच में बदलाव लाना हो, इन सभी पहलुओं को सामाजिक प्रगति व समानता के हक में, आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है। स्थिर (या न बदले जा सकने वाली) भूमिकाएँ न केवल स्त्रियों के लिए ही, वरन् पुरूषों के लिए भी विकास में बाधक है।

जैण्डर व्यवस्था में बदलाव नहीं आ पाने के प्रमुख कारक–

हम भारतीय समाज या अपने राज्य में प्रचलित समाज की मुख्य संस्थाओं का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होगा कि हमारी परम्पराएँ, जीवन–पद्धति, कार्य और भूमिकाओं का निर्धारण पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पर गढ़ा गया है। परिवार, धर्म, कानूनी व्यवस्थाएँ, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्थाएँ एवं संस्थाएँ, जन–संचार माध्यम, शिक्षण व ज्ञान व्यवस्थाएँ–सभी प्रायः पुरूषों को स्त्रियों की तुलना में अधिक सत्ता, स्वतंत्रता एवं नियंत्रण का अधिकार देते हैं और लड़कियों और स्त्रियों को असमानता, हिंसा व वंचनाओं में जीवन जीने की त्रासदी। निरंतर दबावों और अभावों में जीने वाला यह वर्ग–(दलित, महिलाएँ और वंचित) न्यून आत्मविश्वास, सामाजिक संकोच, असफलता और शोषण के भय से ग्रस्त रहता है, जिसे बदले बिना समानता और समता की स्थापना संभव ही नहीं है।

जैण्डर एवं सैक्स में अंतर–

'जैण्डर स्त्री व पुरूष की सामाजिक संरचना है, जिसे बदलना संभव है, जबकि 'सैक्स' स्त्री–पुरूष में शारीरिक फर्क है– जो जैविकीय व आनुवांशिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है, जिसे बदलना प्रायः संभव नहीं है।

शेष पृष्ठ 9 पर.....

'जैण्डर' आधारित हिंसा

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1979 में, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों/हिंसा के उन्मूलन की घोषणा (CEDAW-Convention on Elimination of all forms of Descrimination Against Women) के तहत 'जैण्डर' आधारित हिंसा की निम्न परिभाषा स्वीकार की है :–

''जैण्डर आधारित हिंसा की कोई भी क्रिया जिसके असर या संभावित असर से किसी महिला को शारीरिक, यौनिक या मनौवैज्ञानिक नुकसान अथवा कष्ट हो। इसमें पारिवारिक, निजी जीवन में अथवा किसी खुले/सार्वजनिक रूप में की गई हिंसा शामिल है। इसके अलावा ऐसी क्रियाओं की धमकी देना, किसी प्रकार का दबाव डालना या यकायक किसी महिला की आजादी छीन लेना–ये सभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा कहलाएंगी।''

समाज के कमजोर वर्गों को बहुधा हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

आए दिन हिंसा की खबरें और घटनाएँ समाज के ताने–बाने को नुकसान पहुंचाती हैं। हिंसा के मामलों में सर्वाधिक प्रभाव देश, प्रदेश और गांवों–शहरों में लड़कियों व स्त्रियों पर पड़ता है। महिलाओं पर हिंसा की शुरूआत बचपन से ही हो जाती है। इसके दृष्टांत प्रायः दुनिया, देश, प्रदेश, गांवों, कस्बों और शहरों में मिल जाएंगे। शैशवावस्था में बालिका शिशु की हत्या, लिंग–चयनित गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक व भावनात्मक प्रताड़ना, पोषण व स्वास्थ्य की देखरेख में लड़कियों के साथ होने वाला भेदभाव, यौन उत्पीड़न, बाल वेश्यावृति आदि हिंसा के कुछ आम स्वरूप हैं।

किशोरावस्था में शारीरिक विकास व अपने अधिकारों की सही जानकारी के अभाव में – किशोरियों के साथ जबरन यौन–हिंसा, बलात्कार, मारपीट, बलपूर्वक वेश्यावृति एवं ट्रेफिकिंग आदि के जुल्म देखने–सुनने को मिलते हैं।

युवावस्था में महिलाओं को परिवार द्वारा तय विवाह, दहेज–प्रताड़ना, ससुराल में कार्यभार का आधिक्य, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी असुविधाओं–विशेषकर बारम्बार गर्भ ठहरने से, ताने सुनना, प्रताड़ना, भावनात्मक शोषण, यौन उत्पीड़न, बलात्कार आदि हिंसाओं का शिकार होना आम बात है। कई परिवारों में तो पति, सास–ससुर आदि के द्वारा बहू के साथ शारीरिक हिंसा भी की जाती है।

वृद्धावस्था में भी औरतों के साथ उत्पीड़न और शोषण की अनेक वारदातें समाज के असहिष्णु व्यवहारों को उजागर करती हैं।

महिलाओं पर ढाई जाने वाली हिंसा के पीछे मुख्य कारणों में शामिल हैं– समाज में लड़कियों व लड़कों तथा स्त्रियों व पुरूषों में सदियों से चले आ रहे भेदभाव, स्त्री–पुरूषों के बीच तयशुदा असमान जैण्डर भूमिकाएँ, स्त्रियों का आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में दोयम् दर्जा, विवाह–दहेज आदि मुद्दे, महिलाओं की निर्णयों व संसाधनों में भागीदारी का अभाव। इन सब मुद्दों को जैण्डर–संवेदी बनाने में महिलाओं के अधिकारों का परिप्रेक्ष्य भी समझना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने में सभी की सक्रिय भागीदारी को सम्बल देना चाहिए।

महिलाओं पर हिंसा में रोकथाम के उपायों में अनेक छोटे–छोटे प्रयास से लगाकर बड़े से बड़े काम शामिल हैं। कुछ प्रयास निम्न प्रकार से किए जा सकते हैं :–

महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम के उपाय : हमारी भूमिका –

- स्त्री/लड़की के शरीर को हिंसा, उत्पीड़न, जोर–जबरन उपभोग से बचाएँ।
- स्त्रियों/लड़कियों को सम्मान दें, भावनाएं समझें, उनके स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा के अवसर बढ़ाएँ।
- स्त्रियों की दुविधा की बातें सुनें, समझें व हिंसा से उनका बचाव करें। इन मुद्दों को व्यक्तिषः तथा वार्डसभा व ग्रामसभाओं में उठाएँ, चेतना फैलाएँ और स्त्रियों के प्रति सामाजिक सुरक्षा का वातावरण बनाएँ।
- पीड़ित महिला को सहारा दें, उसे दोष न दें, उसकी अनिच्छा की स्थिति में घर/बाहरी लोगों से मिलने को मजबूर न करें।
- घर–परिवार में समतापूर्ण वातावरण बनाएँ। हिंसा के कारणों, प्रभावों व बचाव के उपाय सभी जानें, समझें और उनका उपयोग करें।
- मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार, कानून, कार्यक्रम, संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी लें और सभी को इस क्षेत्र में जागरूक करें।

- हिंसा से बचाने हेतु स्त्रियों को स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों, पुलिस, वकील, स्वैच्छिक व महिला संगठनों आदि से सहयोग दिलवाएँ। कार्यस्थल पर हिंसा का प्रतिकार कानूनी और नैतिक तरीकों से करने की पहल करें।
- गांव, वार्डसभा/ग्रामसभा और पंचायत व शहरी क्षेत्र में जेण्डर संवेदी मुद्दों पर जागरूकता पैदा करें और कार्यस्थल पर जेण्डर आधारित हिंसा को रोकें।
- कानूनी जागरूकता, पैरवी, दबाव एवं संगठनात्मक कार्रवाई जैसे उपाय हिंसा में कमी लाते हैं। ऐसे कामों को, काम करने वालों को प्रोत्साहन दें।
- अपने क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों, वकीलों व सामाजिक कार्य में लगे स्त्री–पुरूषों को महिलाओं पर हिंसा निवारण के कार्यों में समर्थन दें।

महिलाओं पर हिंसा मानव अधिकारों के हनन का मुद्दा है। महिलाओं को हिंसा से बचाना हम सभी का उत्तरदायित्व है। किसी भी सभ्य समाज का विकास जेण्डर समानता बढ़ाने और जेण्डर हिंसा निवारण के बिना संभव नहीं है। महिलाओं की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए उन पर घटने वाली हिंसा व अपराधों से उनकी सुरक्षा का सामाजिक माहौल बनाने का प्रण लें।

शेष पृष्ठ 7 से आगे.....

'सैक्स' व 'जैण्डर' में भेद–

'सैक्स' प्राकृतिक, जैविक एवं आनुवांशिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है, जिसे प्रायः बदला नहीं जा सकता।

उदाहरण के लिए–स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, बच्चे को जन्म देती है, उसे स्तनपान करा सकती है, आदि।

जबकि 'जैण्डर' एक सामाजिक संरचना है, जिसमें स्त्रियों एवं पुरूषों की भूमिकाएँ, व्यवस्था, रीति–रिवाज, परम्पराओं आदि में बदलाव लाना संभव है। बहुत कठोरता से जैण्डर–संबंध और परिपाटी निभाने वाले समाजों में स्त्री–पुरूषों के बीच संबंध प्रायः नहीं बदल सकने वाले और असमान होतें हैं।

एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर,
तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर,
विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना,
एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर

महिला सशक्तिकरण

संवैधानिक पृष्ठभूमि–

भारतीय संविधान में ही देश की महिलाओं को नागरिकता के समान अधिकार सुनिश्चित कर, उन्हें शोषित व उपेक्षित सामाजिक स्थिति से उबारकर, उनके सशक्तिकरण के उपाय–कानूनी प्रावधानों के रूप में किए गए हैं। इनमें संविधान–प्रदत्त मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में शामिल मानवाधिकार समर्थक, महिलावादी सोच के प्रमुख प्रावधान हैं :–

- कानून के समक्ष समानता का अधिकार–आर्टिकल–14
- राज्य द्वारा धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग व जन्मस्थान जैसे आधारों पर कोई पक्षपात नहीं किया जावेगा–आर्टिकल–15(1)
- राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान किए जावेंगे–सकारात्मक पक्षपात का प्रावधान–आर्टिकल–15(3)
- राज्य के अधीन रोजगार अवसरों में नियुक्ति हेतु सभी नागरिकों को समान अवसर का हक–आर्टिकल–16
- राज्य नीति द्वारा पुरूषों व महिलाओं को समान रूप से, पर्याप्त आजीविका के साधनों का हक सुनिश्चित करने के लक्षित प्रयास सुनिश्चित किए जावेंगे –आर्टिकल–39(ए)
- पुरूषों व महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता–आर्टिकल–39(डी)
- राज्य नीति में महिलाओं हेतु न्यायसंगत व मानवीय कार्य परिस्थितियाँ तथा मातृत्व सहायता हेतु प्रावधान किए जावेंगे–आर्टिकल 742
- सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की गरिमा व सम्मान को नकारने वाली कुप्रथाओं व प्रचलनों का परित्याग करना–आर्टिकल 51 (ए)–ई।

जैण्डर एवं अधिकारगत परिप्रेक्ष्य

मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ ही स्त्री–पुरूषों ने अपनी भूमिका, कर्त्तव्यों व अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना प्रारंभ किया। जीवन स्तर में निरन्तर सुधार लाने में जहां सरकारी प्रयासों की भूमिका बढ़ती गई, वहीं दूसरों के प्रति सरोकारों एवं संवेदनाओं का दायरा भी सुशासन की कसौटी बनते गए। लोगों ने मिल–जुल कर रहना सीखा। इसी बीच स्वार्थों की टकराहट ने राजनीतिक व सामाजिक विद्वेष और विध्वंस के नए–नए हथियार और औजार ढूंढ़ लिए। विश्व युद्धों के परिणामस्वरूप असंख्य निर्दोष स्त्री–पुरूषों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। पहले लीग ऑफ नेशन्स और तदन्तर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के प्रश्न को विश्व मंच पर उठाया। सभी देशों की सहमति से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकारों का सार्वभोम घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें इन सात स्वतंत्रताओं का उल्लेख है:

- भेदभाव से मुक्ति
- अभावों से मुक्ति (बेहतर जीवन स्तर)
- भय से मुक्ति व सुरक्षा
- अन्याय से मुक्ति
- अभिव्यक्ति व विचारों की स्वतंत्रता
- विकास की स्वतंत्रता
- शोषण से मुक्ति व गरिमामय जीवन

भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेदों में सभी नागरिकों हेतु मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। ये मौलिक अधिकार हैं :– समानता का हक–बिना किसी भेदभाव के, समान अवसर, स्वतंत्रता, छूआछूत उन्मूलन, समान न्याय, धर्म की स्वतंत्रता तथा अपनी संस्कृति की स्वतंत्र पहचान। मानव अधिकारों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु भारतीय दण्ड संहिला, गर्भपूर्व लिंग परीक्षण निषेध संबंधी कानून, बाल विवाह निषेध कानून, दहेज निषेध कानून, घरेलू हिंसा निवारण कानून आदि के माध्यम से मानव अधिकारों, विशेषतः महिलाओं के अधिकारों, को आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व देश की कार्यकालिका एवं न्यायपालिका पर है। देश व राज्य की जनसंख्या नीति, महिला विकास नीति, स्वास्थ्य नीति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री मातृ स्वास्थ्य योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय के तहत राज्य के वंचितों और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के महिला आयोग एवं मानव अधिकार आयोग भी उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध संवैधानिक संस्थाओं के रूप में 1990 के दशक में स्थापित किए गए हैं।

महिलाओं के अधिकार

इन सब उपायों के बावजूद जैण्डर असमानता के कारण महिलाओं की स्थिति में और अधिक मजबूती लाने की जरूरत है। यदि महिला अधिकारों का परिप्रेक्ष्य देखें तो इसकी एक लंबी सूची सामने आती है। परन्तु इन्हें कार्यात्मक रूप से देखा जाए तो परिवार, समुदाय, समाज, शासन, सत्ता, सेवा–प्रदाता और संस्थाओं के हाथों अधिकारों के संरक्षण के स्थान पर, हनन के मामले अधिक दिखलायी देंगे। जैसा सर्वविदित है, हर व्यक्ति (स्त्री पुरूष) को गरिमामय जीवन जीने की न्यूनतम दशाओं या हक की प्राप्ति को हम अधिकार कहतें हैं। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों, राष्ट्रीय संविधान, कानूनों, कार्यक्रमों, नीतियों से मिलते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में भी सिद्धान्तः महिलाओं को वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो पुरूषों को प्राप्त हैं। ये अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, सूचना व शिक्षा का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, एकत्रित होने, अभिव्यक्ति व राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार, विकास में समान अवसरों का अधिकार, सामाजिक व राजनैतिक भागीदारी का अधिकार, आदि।

इनके अतिरिक्त महिलाओं को प्राप्त विशेष अधिकारों में प्रजनन अधिकार एवं स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार भी शामिल हैं, जो प्रमुख रूप से निम्नांकित हैं:

- विवाह करने या नही करने का अधिकार

- परिवार के नियोजन और निर्माण का अधिकार (अर्थात् बच्चा पैदा करने, कब करने, या नहीं करने का अधिकार)
- सुरक्षित गर्भधारण व प्रसव का अधिकार
- सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने का हक
- स्वास्थ्य की देखभाल व लाभान्वित होने का अधिकार
- मानसिक वेदना और क्रूरतापूर्ण/दमनकारी व्यवहार से मुक्ति का अधिकार
- निजता व गोपनीयता का अधिकार
- वैज्ञानिक प्रगति से लाभान्वित होने का हक
- स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सेवाओं व अन्य सामाजिक सेवाओं को जानने व उनसे लाभ उठाने का हक
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, जीवन रक्षक उपचार तथा आकस्मिक सेवाओं की सहज प्राप्ति का हक

सामान्यतः आमजन को प्राप्त सभी अधिकार भी प्राप्त करने का पूरा हक महिलाओं को हासिल है। जरूरत केवल इस बात की है कि परिवार, समुदाय, समाज, सरकार, जनप्रतिनिधि एवं स्वैच्छिक संगठन इन अधिकारों तक पंहुच बनाने में महिलाओं को सम्बल व सहयोग दें।

विकास में जैण्डर असमानता दूर कर, महिलाओं को मुख्यधारा में लाना किसी की मेहरबानी नहीं वरन् उनका बुदियादी हक है! अब समय की मांग है कि विकास नियोजन भी मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य में हो।

महिला अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करना : सुशासन की भूमिका–

- महिलाओं की दोयम् दर्जे की स्थिति को स्थानीय परिवेश में समझना व उससे उबारने के सकारात्मक प्रयास करना।
- स्त्रियों व पुरूषों के बीच मौजूद भेदभावपूर्ण मान्यताओं, धारणाओं, प्रथाओं व व्यवहारों को समझकर, उन्हें समानतापरक बनाने के उपाय कर, उन्हें अपने परिवेश में और आस–पास प्रभावशाली तरीकों से जनमानस तक पंहुचाना।
- जैण्डर समानता व समता को बढ़ाने के लिए महिलाओं में उत्साह संचरण करके हर संभव मदद उन्हें सशक्त बनाने हेतु करना।
- महिलाओं के अधिकारगत मुद्दों के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टिकोण रखकर उनकी समस्याओं का सच्चे मन से न्यायसंगत समाधान करना।
- समाज के हर वर्ग को गैर–बराबरी के जैण्डर मूल्यों व अन्यायपूर्ण व्यवहार में बदलाव के लिए प्रेरित करना। यह हमारा वैधानिक व नैतिक दायित्व भी है।
- जैण्डर समानता व सत्ता में महिलाओं की भागीदारी के प्रति चैतन्य रहकर, उन्हें समानता और समता की ओर अग्रसर करना।
- सरकारी संसाधनों व बजट की जैण्डर संवेदी आयोजना एवं क्रियान्विति से देश व समाज को जैण्डर न्याय की राह पर आगे बढ़ाने के सतत् प्रयास कर स्थानीय स्तर पर सुशासन कायम करना।

पंचायतें इस काम को बखूबी करके महिला–पुरूषों में 'समता' और 'समानता' बढ़ा सकती हैं–जिससे एक हिंसा मुक्त और शोषण–रहित, सशक्त एवं समरसता–युक्त समाज की रचना को बल मिलेगा। पंचायतों के हर काम में, हर अभियान में और हर बैठक और सम्मेलन में जैण्डर संवेदी मुद्दों को शामिल करने से ही बेहतर स्वशासन का लक्ष्य प्राप्त होगा।

''सबकी समानता व सबको न्याय'' सुशासन की आधारशिला है।

मानव विकास–आधारित आयोजना में सभी के हितों को शामिल करें, वंचितों को प्राथमिकता से विकास की मुख्यधारा में लाएँ, सबके मानव अधिकार संरक्षित हों, ऐसा स्वस्थ विकासशील समाज बनाएँ–जैण्डर असमानता को जड़ से मिटाएँ!

महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण

संविधान के समानता–परक, सामाजिक न्याय को सजीव करने वाले इन वायदों के बावजूद, आज भी हमारे देश व प्रदेश का सामाजिक यथार्थ–महिलाओं के विरूद्ध, सदियों से चली आ रही सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के दबाव में, महिलाओं की गैर–बराबरी की स्थिति को ही प्रतिबिम्बित करता है। महिलाएँ हमारे समाज में अभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई हैं–यह उपेक्षित व शोषित तस्वीर निम्न आयामों से साफ उभरती है:

गिरते लिंग अनुपात की स्थिति –

यह पिछले 100 वर्षों के जनगणना आंकड़ों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। देश की आबादी में, सन् 1901 में, प्रति हजार पुरूषों पर, महिलाओं की संख्या 972 थी, जो घटते–घटते वर्ष 1991 में, 927 रह गई है। इसमें 2001 की जनगणना में आंशिक सुधार दर्ज हुआ है व अब यह 933 महिलाएँ प्रति हजार पुरूष रिकार्ड हुई हैं, किन्तु बाल्यकाल में लिंग–अनुपात लड़कियों के बहुत ही प्रतिकूल दर्ज हुआ है।

प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा इस महिला आबादी को 'गुमशुदा महिलाएँ करार दिया गया है। उनके मुताबिक देश की 100 करोड़ की आबादी में, कम से कम ढ़ाई करोड़ महिलाएँ–सामाजिक वंचनाओं के चलते गुम या लापता हो गई हैं व अपने जीवन का अधिकार भी खो चुकी हैं–चूंकि समाज में उनके जीवित रह पाने के समान अवसर ही उपलब्ध नहीं हैं।

शिक्षा के अवसरों का लाभ :
बढ़ता जैण्डर–फासला–

सन् 1901 में, जहाँ पुरूष व महिला साक्षरता दर में 8–9 फीसदी का ही अन्तर था, वहीं अब साक्षरता दरों में अभिवृद्धि के बावजूद, यह जैण्डर दूरी भी बढ़ती गई है। जहाँ पुरूष साक्षरता दर–देश में 76 प्रतिशत से ऊपर हो चुकी है, वहीं महिला साक्षरता दर अभी भी 54 प्रतिशत ही है। अतः अभी भी जैण्डर फासला 22 प्रतिशत बना हुआ है। यह स्पष्ट संकेत है कि आज भी महिलाओं व बालिकाओं को शिक्षा व साक्षरता हासिल करने के अवसर, पुरूषों के सापेक्ष बराबरी के तकाजे से नहीं मिल पा रहें हैं।

रोजगार के अवसरों में भी जैण्डर दूरी बरकरार

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ, परिवार की आय में वृद्धि के साथ कार्यक्षेत्र से विस्थापित होती आई हैं। आज भी ग्रामीण अंचल में महिलाओं की कार्य क्षेत्र में औसत भागीदारी लगभग 25 प्रतिशत के आस–पास ही गिनी जाती है। यह भी घोर विसंगति है कि महिलाओं का पारिवारिक क्षेत्र में श्रम योगदान कार्य की गणना में ही नहीं लिया जाता है। जबकि ज्यादातर पारिवारिक काम जो महिलाओं के जिम्मे ही हैं, जैसे–पानी तथा ईंधन–चारे की व्यवस्था करना, खेती का काम, मवेशियों की देखभाल, खाना–बनाना, सफाई, बच्चों व वृद्धजनों की देखभाल, पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाना आदि–अवैतनिक कार्य–सहयोग होने के फलस्वरूप, राष्ट्रीय कार्य–गणना में ही शामिल होने से वंचित रहतें हैं तथा महिलाओं का देश की खुशहाली में कार्य–योगदान अदृश्य व अनगिना ही रह जाता है। जबकि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में दो तिहाई से अधिक श्रम योगदान महिलाओं का है।

पिछले दशक में देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार को समर्पित योजना–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार से जोड़े जाने का राष्ट्रीय औसत भी लगभग 27 प्रतिशत ही रहा है। महिलाओं को मिलने वाले अधिकांश रोजगार अवसर, हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में सीमित हैं (लगभग 85 प्रतिशत) फलतः वे श्रम कानून के संरक्षण से भी वंचित रह जाती हैं व 30–35 प्रतिशत कम मजदूरी पाती हैं।

महिलाओं पर हिंसा / जैण्डर आधारित हिंसा : बढ़ता ग्राफ – पिछले दशकों में महिलाओं पर हिंसा की वारदातों में 74 प्रतिशत के लगभग वृद्धि दर्ज हुई है। हमारे देश में संसद के पटल पर, राष्ट्रीय अपराध–रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज आंकड़ों के राष्ट्रीय औसत के आधार पर देश में हर सातवें मिनट में महिलाओं के साथ एक आपराधिक वारदात दर्ज हो रही है।

महिलाओं पर हिंसा के आंकड़े बयान करतें हैं कि देश में महिलाओं के जीवन के अधिकार के साथ–साथ, उनका,

गरिमा व सम्मान से जीने का हक भी असुरक्षित है। छेड़–छाड़, अपहरण, शील–भंग, बलात्कार व दहेज–हत्याओं के अलावा, घरेलू हिंसा व कार्यक्षेत्र में यौन हिंसा की घटनाएँ भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही हैं।

नीति निर्धारक मंचों पर महिलाओं की भागीदारी –

इस संदर्भ में, आज भी नीति–निर्धारक मंचों पर महिलाओं की भागीदारी 10–15 प्रतिशत के बीच सिमटी हुई है। चाहे संसद में देखें या विधायिका में, या फिर उच्च प्रशासनिक सेवाओं अथवा न्यायपालिका में, आज भी महिलाओं की भागीदारी 10–15 प्रतिशत के बीच ही स्थिर है। केवल पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में ही, 73वें व 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप, महिलाओं हेतु सभी स्तरों के पदों पर एक तिहाई आरक्षण व्यवस्था लागू होने के नतीजतन देश में आज लगभग बारह लाख निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तरों पर नेतृत्व कर रही हैं, जो अपने आप में एक मौन ऐतिहासिक क्रांति है। किसी भी देश में महिला सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे नीतिगत प्रयासों में, महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण के यह संविधान सम्मत प्रयास, उल्लेखनीय 'जैण्डर सशक्तिकरण माप' (Gender Empowerment Measure-GEM) के तौर पर, विश्व स्तर पर सराहे गए हैं।

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी की ओर से 3–5 अगस्त 2018 को रायपुर के जीसा (जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल एक्शन) में महिला मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में कार्यरत संगठनों के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षकों ने भाग लिया।

जैण्डर संवेदी बजट प्रकिया

पृष्ठभूमि :–

किसी भी सरकार को नीति निर्माण करते समय एवं उन नीतियों को लागू करने हेतु यथोचित बजट निर्धारण करते समय, यह दृष्टि रखने की जरूरत है कि समाज व समुदाय में वर्तमान में महिलाओं व पुरूषों द्वारा किस प्रकार की भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ, व्यावहारिक अर्न्तसंबंध निभाए जा रहें हैं एवं एक मानव अधिकार सम्मत कसौटी पर जैण्डर समानता आधारित समाज की रचना करने के लिए, किस प्रकार के समाज की जरूरत है। जैण्डर समानता के अवसर एवं समुचित विकास संसाधन देने के लिए राजकीय नीतियों एवं बजट प्रावधानों में क्या नयापन, क्या जैण्डर–विशिष्ट योजनाएँ एवं कैसे बजट मद नियत करने की आवश्यकता है, यह गहन विश्लेषण हर आयोजना प्रक्रिया का अनवरत हिस्सा होना चाहिए। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय नगरीय व ग्रामीण सरकारों–शासन के सभी स्तरों पर जैण्डर संवेदी नीति, कार्यक्रम एवं तद्नुरूप बजट नियत करने की महती आवश्यकता है। ऐसे जैण्डर संवेदी सुशासन के सतत् प्रयासों से ही जैण्डर समता एवं समानता युक्त समाज की संरचना की जा सकेगी।

जैण्डर संवेदी बजट क्या है ?

यह एक ऐसी बजट प्रक्रिया है जो समाज में विद्यमान जैण्डर अर्न्तसंबंधों को पहचानते हुए ऐसी नीतियों व कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान करती है, जिसके फलस्वरूप विद्यमान जैण्डर अर्न्तसंबंधों में ऐसा सकारात्मक बदलाव आवे कि एक जैण्डर समानता–युक्त समाज का पुर्ननिर्माण हो सके। 'जैण्डर बजट' महिला सशक्तिकरण की वह पहलकदमी है जिसके परिणामस्वरूप देश, राज्य, जिले, शहर व गांव–जैण्डर संवेदी न्यायसंगत प्रक्रिया में देश को आगे बढ़ाएंगे।

जैण्डर बजटिंग क्यों करें ?

बजट निर्माण किसी भी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने का सबसे प्रबल हथियार है। चूंकि, बिना वित्तीय व्यवस्था किए कोई भी नीति या कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सकता। ना ही देश, प्रदेश, जिले, शहर व गांवों में बसने वाले लोगों को मानव–अधिकार संरक्षित जीवन जीने

के समानता आधारित विकास अवसर व संसाधन ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने एवं जैण्डर समता आधारित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की संवैधानिक संकल्पना को सार्थक करने के लिए जैण्डर संवेदी बजट तय करना एक बुनियादी आवश्यकता है।

जैण्डर बजट प्रक्रिया जरूरी क्यों ?

ऐसे कई जैण्डर विशिष्ट अवरोध हैं जो महिलाओं व बालिकाओं को सार्वजनिक सेवाओं, विकास अवसरों एवं संसाधनों का फायदा ले पाने से वंचित रखतें हैं। जब तक की देश की नियोजन एवं विकास प्रक्रिया, शासन तंत्र के हर स्तर पर, यानि–केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला सरकार (शहरी निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाएँ) के माध्यम से इन जैण्डर विषयक बाधाओं को मिटाने एवं जैण्डर भेदभाव को दूर करने के सशक्त प्रयास, नीतिगत रूप से नियत नहीं करेंगी, तब तक आर्थिक प्रगति के सुखद परिणाम, देश की आधी आबादी यानि महिलाओं की पहुँच से दूर ही बने रहेंगे।

जब तक जैण्डर समानता संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त मात्रा में बजट आवंटित नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी नीतियाँ महज कागजी बनकर रह जाएंगी।

जब देश की सरकार और संविधान ने जैण्डर समानता का हक एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया है तो देश की नीतियों व कार्यक्रमों को भी इस मौलिक अधिकार की अनुपालना जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु जैण्डर संवेदी बजट नियत करने की प्रतिबद्धता भी दर्शानी पड़ेगी।

जैण्डर बजट प्रक्रिया की उपयोगिता –

- महिलाओं की आवश्कताओं की पहचान करने, उन्हें प्राथमिकताबद्ध करने और उनकी पूर्ति करने के लिए बजट प्रावधान सृजित करने।
- विकास के सभी प्रमुख विभागों के बजट प्रावधानों में जैण्डर प्राथमिकताएँ समाहित कराने में।
- देश, राज्य, स्थानीय सरकारों की आर्थिक नीतियाँ तय कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाने में।
- आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों की उपलब्धियों एवं लक्षित परिणामों तक क्रियान्विति सुनिश्चत करनें में।
- जैण्डर एवं विकास समर्थक नीतिगत संकल्पों पर व्यवहार में हो रहे राजकीय व्यय की निगरानी रखने में।
- सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय एवं राज्य नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति करनें में।

जैण्डर बजटिंग एवं भारत की अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ –जिन अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों की कार्ययोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अपने देश में लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, उनमें महिला सशक्तिकरण व जैण्डर समानता के सरोकारों को राष्ट्रीय नीतियों में समाहित करने पर बल है, इनमें से प्रमुख हैं :–

- S CEDAW-कन्वेंशन ऑन एलीमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्मस् ऑफ डिस्क्रीमिनेशन अगेन्स्ट विमेन, जिसे भारत सरकार द्वारा 1980 में समर्थन दिया गया।
- S मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन, विएना, 1993 – जिसमें महिला अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में प्रतिस्थापित करने की हिमायत की गई।

अतः जैण्डर बजटिंग प्रक्रिया एक समग्र दृष्टि रखते हुए यह आकलन करती है कि भिन्न–भिन्न सामाजिक वर्गों में महिलाओं और पुरूषों की सापेक्ष स्थिति कैसी है व विकास के विभिन्न आयामों में उनकी आवश्यकताएँ क्या क्या हैं ? अतः स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का बजट नियत करते समय, कार्यक्रमवार मदों में यह देखना उचित रहेगा कि मलेरिया एवं वायरल बुखार की रोकथाम के लिए तो पुरूषों व महिलाओं की आवश्यकताएँ समान हो सकती हैं एवं समान बजट आवंटन उचित हो सकता है, परन्तु निस्सन्देह प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में महिलाओं की जरूरतें पुरूषों से कहीं ज्यादा होगी व तद्नुरूप उनके लिए ज्यादा बजट प्रावधान करना होगा। जैण्डर बजटिंग महिलाओं के लिए पृथक बजट प्रावधान सृजित करने पर बल नहीं देती, बल्कि इस सोच को बल देती है कि हर बजट प्रावधान जैण्डर सापेक्ष वर्गवार आँकी गई आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार हो।

जागते रहो, जगाते रहो

उद्घोष में, महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षकों का संक्षिप्त परिचय प्रकाशित किया जा रहा है। संभवतः इससे हम सबको जागते रहने की प्रेरणा और जगाते रहने का उत्साह मिलेगा।

पूर्णिमा साहू

सन् 2011 से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत पूर्णिमा साहू का जन्म 8 दिसम्बर 1993 को कांकेर जिले के छोटे से गांव घोड़दा के संयुक्त परिवार में हुआ। शिक्षित परिवार में पली–बढ़ी पूर्णिमा को 2013 में कालेज अध्ययन के दोरान ही पिताजी की दिल का दौरा पड़ने से हुई मृत्यु के कारण अपनी कालेज की नियमित पढ़ाई छोड़कर एक सामाजिक संस्था में काम करना पड़ा। पिताजी की असामयिक मृत्यु ने परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया था अतः पूर्णिमा को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़कर रोजगार से जुड़ना पड़ा। 20 साल की बहुत कम उम्र में सामाजिक मुद्दों की जटिलताओं से उलझती सुलझती पूर्णिमा ने काम के साथ अपनी अधूरी शिक्षा को जारी रखते हुए 2017 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

पूर्णिमा इसके लिए अपने नांदी फाउंडेशन का आभार जताना नहीं भूलती जिसके कार्य–वातावरण के कारण उसे यह सफलता मिली। नांदी फाउंडेशन की तीन वर्षीय परियोजना के समापन पर पूर्णिमा ने छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में कार्यरत सहभागी समाज सेवी संस्था में कार्य किया।

पूर्णिमा ने शिवि डवलपमेंट सोसायटी में भी फेलो के रूप में काम किया जिसमें उन्हें सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का गहन अनुभव प्राप्त हुआ। अभी पूर्णिमा बुलबुल संस्था में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही हैं, साथ ही सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययनरत हैं। उनकी इच्छा सामाजिक क्षेत्र के कार्यो में एक अलग मुकाम हासिल करने की है।

लक्ष्मी ठाकुर

लक्ष्मी ठाकुर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के कोंडागांव में रहने वाली एक सामाजिक कार्य करने वाली कार्यकर्ता हैं। छः बहिन–भाइयों में लक्ष्मी तीसरे सीन पर हैं। ये पहले स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विकास विभाग में लगभग सात वर्षों तक मितानिन के रूप में सेवाएँ दे चुकी हैं। आर्थिक–सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार से आने वाली लक्ष्मी ठाकुर की अभी तक की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी रही हैं। गांव के ही युवक द्वारा छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक सफलता प्राप्त करने से लक्ष्मी में संघर्ष के प्रति एक जोश का संचार हुआ है। इस मामले में महिला पुलिस अधिकारी के सहयोग की वे खुले मन से प्रशंसा करती है, वरना तो पंचायत से लेकर मंत्री तक मामले को रफा–दफा करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इनकी व्यक्तिगत संघर्ष यात्रा के दौरान ही इनके पिताजी का कैंसर की बीमारी से देहांत हो गया। अब घर–बाहर की सभी जिम्मेदारियाँ इन्हीं पर आ गई, किन्तु इन्होंने साहस से काम लेते हुए इन सभी पर विजय प्राप्त की है। पारिवारिक समस्याओं के कारण इनको मितानिन के काम को भी छोड़ना पड़ा। वर्तमान में लक्ष्मी ठाकुर शिवि डवलपमेंट सोसायटी के साथ मिलकर महिला अधिकारों के लिए कार्यरत हैं। इस सोसायटी के साथ जुड़ने से इनमें एक नए महिला अधिकार कार्यकर्ता का प्रादुर्भाव हुआ है। सोसायटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ने के कारण महिला अधिकारों के बारे में इनकी जानकारी में वृद्धि हुई है। शिवि के साथ काम करने से लक्ष्मी में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है ऐसा इनका स्वयं का मानना है। लक्ष्मी का सपना खुले आसमान में उड़ने का है। संघर्ष करने का है, डर कर घर में बैठने का नहीं।

चिट्ठी आई है.....

❖ उद्घोष के लिए धन्यवाद। इसके द्वारा मुझे अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सरल भाषा एवं स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है।

– सत्यभामा अवस्थी, बिलासपुर

❖ उद्घोष के जागते रहो कालम में मेरी जैसी सामान्य कार्यकर्त्ता का परिचय प्रकाशित कर मेरी बड़ा हौसला अफ़ज़ाई की है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके प्रकाशित होने के बाद मुझे कुछ बधाइयाँ भी मिलीं और ऐसा लगा जैसे कुछ ज्यादा लोग मुझे जानने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शिवि–आईपैक के मार्गदर्शन ने मुझे, कमजोर समुदाओं व सामाजिक समस्याओं के बारे में अपनी समझ और कार्यकुशलता बढ़ाने में बहुत मदद की है। संस्थागत रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप लोगों से विशेष जुड़ाव महसूस करती हूँ। मैं यह भूल नहीं सकती कि सामाजिक काम की शुरुआत मैंने, आप लोगों के सानिध्य में की और सही दिशा पाई। मैं अब भी यह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे अंगुली पकड़ कर आगे बढ़ाते रहेंगे। उद्घोष में प्रकाशित सामग्री हमेशा की तरह ज्ञानवर्धक है। मुखपृष्ठ पर वृदिरण्यक उपनिषद से लेकर "धर्म" की जो परिभाषा दी गई है वह आज के सन्दर्भ में हर एक व्यक्ति के समझने के लिए जरूरी है। आईपैक–शिवि द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जा रहा काम महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षकों को सशक्त बनाने में बहुत कामयाब सिद्ध हो रहा है।

– रेखा सिंह,
सचिव महिला स्वरोजगर समिति वाराणसी, उत्तर प्रदेश

❖ खुशी है कि मुझे उद्घोष के विभिन्न अंक देखने का मौका मिला। मैंने इस पत्रिका को बहुत सूचनाप्रद और प्रमाणिक आंकड़ों से संपन्न पाया। इसमें सीन पाए विषय सामयिक और सामाजिक सन्द्रभों से सीधे जुड़े हुए हैं। लेख और सूचनाएं सटीक हैं। साफ लगता है कि उद्घोष की रूपरेखा वर्षों के अनुभव का परिणाम है लेकिन इसे और बेहतर व आकर्षक बनाने की सम्भावना है। जैसे–इसके अक्षरों का आकार छोटा किया जा सकता है और प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर–नीचे की जगह को कम करके, पाठ्य सामग्री को बढ़ाया जा सकता है। शिवि डेवलपमेंट सोसायटी की गतिविधियों को सुगठित रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। ''जागते रहो–जगाते रहो'' स्तम्भ का शीर्षक छोटा और ज्यादा सार्थक रखा जा सकता है।

– राजेश उपाध्याय,
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गनाइजेशंस, दिल्ली

❖ उद्घोष के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

– श्यामचंद, इन्सेक, काठमाण्डू, नेपाल
– शमीम सिद्दीक़ी, जगदलपुर, छत्तीसगढ़
– मुक्ता एक्का, गुवाहाटी, असम

आपका मंच

उद्घोष आपका मंच है, आपका–हमारा संयुक्त स्वर है। उद्घोष में साथी संगठनों की गतिविधियों का, हमेशा स्वागत है आप यथा समय अपनी व अपने संगठन की विगत एवं भावी गतिविधियों की सूचनाएं सहर्ष भेजें। उद्घोष में उन्हें यथोचित स्थान मिलेगा।

–सम्पादक

बुक पोस्ट